"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2018—चैत्र 23, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

ra

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लूर सिंह वर्मा आत्मज श्री रोमनाथ वर्मा, उम्र 37 वर्ष, जाति-कुर्मी, निवासी-माता देवालय वार्ड, भाटापारा, तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों अभिलेखों में व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम लूर सिंह आ. रोमनाथ दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे पिताजी के आधार कार्ड व अन्य शासकीय अभिलेखों में उनका पूर्ण व सही नाम रोमनाथ वर्मा दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ "वर्मा " उपनाम जोड़कर पूर्ण व सही नाम लूर सिंह वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे लूर सिंह वर्मा आत्मज श्री रोमनाथ वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

लूर सिंह
(Loor Singh)
पिता-रोमनाथ
(Romnath)
निवासी-माता देवालय वार्ड, भाटापारा,
तहसील-भाटापारा,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)

नया नाम

लूर सिंह वर्मा
(Loor Singh Verma)
पिता-रोमनाथ वर्मा
(Romnath Verma)
निवासी-माता देवालय वार्ड, भाटापारा,
तहसील-भाटापारा,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री राम प्रसाद साहू आत्मज श्री लल्लन राम साहू उम्र 49 वर्ष, निवासी-दुर्गेश किराना स्टोर्स, पुराना मछली मार्केट, मिलन चौक भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, राशन कार्ड, आधार कार्ड व पेन कार्ड में मेरा नाम श्री राम प्रसाद साहू दर्ज है जो कि पूर्ण व सही है, किन्तु मेरे बैंक खाता में मेरा नाम श्री राम गुप्ता दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम श्री राम प्रसाद साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे श्री राम प्रसाद साहू आ. श्री लल्लन राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्री राम गुप्ता
पिता-श्री लल्लन राम साहू
निवासी-दुर्गेश किराना स्टोर्स,
पुराना मछली मार्केट,
मिलन चौक भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्री राम प्रसाद साहू
पिता-श्री लल्लन राम साहू
निवासी-दुर्गेश किराना स्टोर्स,
पुराना मछली मार्केट,
मिलन चौक भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चुम्मन लाल साहू आत्मज श्री नीलकण्ठ साहू, उम्र 58 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-1/ए, सड़क-28, सेक्टर-09, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में मेरा पूर्ण नाम चुम्मन लाल साहू दर्ज है, जो कि सही है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम सी. एल. साहू [C. L. SAHU] दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम चुम्मन लाल साहू [CHUMMAN LAL SAHU] रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे चुम्मन लाल साहू [CHUMMAN LAL SAHU] आ. श्री नीलकण्ठ साहू [SHRI NEELKANTH SAHU] के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सी. एल. साहू [C. L. SAHU]
पिता-श्री नीलकण्ठ साहू
[S/o SHRI NEELKANTH SAHU]
निवासी-क्वा. नं.-1/ए, सड़क-28,
सेक्टर-09, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

चुम्मन लाल साहू
[CHUMMAN LAL SAHU]
पिता-श्री नीलकण्ठ साहू
[S/o SHRI NEELKANTH SAHU]
निवासी-क्वा. नं.-1/ए, सड़क-28,
सेक्टर-09, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खुमान सिंह सोनबोइर आत्मज श्री सुकलू राम सोनबोइर, उम्र, 53 वर्ष, निवासी-पीयूष विला, सड़क नं.-8, जोन-3, न्यू आदर्श नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड बैंक पास बुक में मेरा नाम खुमान सिंह सोनबोइर आ. श्री सुकलू राम सोनबोइर दर्ज है जो कि पूर्ण व सही है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम खुमान सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के आगे "सोनबोइर" उपनाम जोड़कर पूर्ण व सही नाम खुमान सिंह सोनबोइर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे खुमान सिंह सोनबोइर आ. श्री सुकलू राम सोनबोइर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

खुमान सिंह (KHUMAN SINGH)
पिता-श्री सुकलू राम सोनबोइर
(S/o- SHRI SUKLURAM SONBOIR)
निवासी-पीयूष विला, सड़क नं.-8,
जोन-3, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

खुमान सिंह (KHUMAN SINGH SONBOIR)
पिता-श्री सुकलू राम सोनबोइर
(S/o- SHRI SUKLURAM SONBOIR)
निवासी-पीयूष विला, सड़क नं.-8,
जोन-3, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हेमनाथ जगत, आत्मज स्व. चमरा जगत उम्र 62 वर्ष, जाति-गोंड़, निवासी-ग्राम-चंदखुरी, पोस्ट-नौगड़ी, तहसील-बसना, जिला महासमुंद (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में कार्यरत था. मुझसे संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में परिचय पत्र, पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में मेरा पूर्ण व सही नाम हेमनाथ जगत दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हेमनाथ गोंड़ आ. स्व. चमरा गोंड़ दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम हेमनाथ जगत रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हेमनाथ जगत आ. स्व. चमरा जगत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

हेमनाथ गोंड़
पिता-स्व. चमरा गोंड़
निवासी-ग्राम- चंदखुरी,
पोस्ट-नौगड़ी,
तहसील-बसना,
जिला-महासमुंद (छ. ग.)

नया नाम

हेमनाथ जगत
पिता-स्व. चमरा जगत
निवासी-ग्राम- चंदखुरी,
पोस्ट-नौगड़ी,
तहसील-बसना,
जिला-महासमुंद (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

प्रारूप

[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

दुर्ग, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र./979/प्र. 2/अ. वि. अ./2018.—यत: कि श्री कुमार राहुल रंजन आ. अरूण कुमार उम्र 27 वर्ष निवासी 78 रोड नं. 07 आदित्य गार्डन नियर एन. आई. टी. मोरे, आदित्यपुर पो. आ. एवं पुलिस स्टेशन आदित्यपुर जिला सरियाकेला खरसावान झारखण्ड द्वारा "SAI WORLD OF EXCELLENCE TRUST" 154/5 HORI AUTO LINE PRAGATI NAGAR RISALI BHILAI DISTT DURG 490009 के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 20-04-2018 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"SAI WORLD OF EXCELLENCE TRUST" 154/5 HORI AUTO LINE PRAGATI NAGAR RISALI BHILAI DISTT DURG 490009
(2)	चल संपत्ति	:	10,000-00 (अक्षरी दस हजार रुपये नगदी)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

कैलाश वर्मा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2018

क्रमांक/परि./2018/743.—वस्तुत: जय अम्बे महामाया अ. ज. जा. मछुवा सहकारी समिति मर्या. केकराड़ विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर पं. क्र. 306 दिनांक 18-04-2012 निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं करने एवं संस्था के अंकेक्षण भी नहीं कराने के कारण संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिसमापन में लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018 बिलासपुर दिनांक 24-02-2018 छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतएव प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ 15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये जय अम्बे महामाया अ. ज. जा. मछुवा सहकारी समिति मर्या. केकराड़ विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर पं. क्र. 306 दिनांक 18-04-2012 विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आशीष मजूमदार सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला जांजगीर चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 24 मार्च 2018

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)]

क्र./उ. पं. जां./परिसमापन/2018/2476.—गृह निर्माण सहकारी सोसायटी सक्ती पंजीयन क्रमांक 39, पंजीयन दिनांक 16-04-1982 से विगत 05 वर्षों से अधिक समय से अकार्यशील है. सोसायटी में प्रति वर्ष अधिनियम की धरा 49 के अंतर्गत वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं कराया गया है. सोसायटी द्वारा अपने कारोबार संबंधी लेखाओं का अंकेक्षण नहीं कराया गया और न ही अंकेक्षित लेखा पत्रक एवं विवरणी तथा कार्य रिपोर्ट अधिनियम की धारा 56 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 06 माह के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. सोसायटी के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् भी निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया/निर्वाचन नहीं कराया गया है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक उपजा/परिसमापन/1330 दिनांक 11-09-2017 द्वारा सोसायटी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था. सोसायटी द्वारा नियत समयावधि बीत जाने के बाद भी आज पर्यन्त कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. इससे स्पष्ट है कि सोसायटी अपने गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आगे कार्य नहीं करना चाहती है. फलस्वरूप छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत विहित प्रावधान के अनुसार सोसायटी परिसमापित कर, पंजीयन निरस्त करने योग्य है.

अत: मैं एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जांजगीर चांपा, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय नया रायपुर की विज्ञप्ति क्र./एफ-15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए, गृह निर्माण सहकारी सोसायटी सक्ती पंजीयन क्रमांक 39 को अधिनियम की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन में लाने का आदेश पारित करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 के तहत श्री एम. एल. देवांगन, सहकारिता विस्तार अधिकारी सक्ती को सोसायटी का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.